Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 27-02-2006
Participants : Yadav Shri Devendra Prasad,Kharventhan Shri Salarapatty Kuppusamy,Malhotra Prof. Vijay Kumar,Suman Shri Ramji Lal,Dasmunsi Shri Priya Ranjan

>

Title : Submission made regarding situation arising out of strike by Advocates of Delhi Bar Association.

उपाध्यक्ष महोदयः आपका प्वाइंट आ गया है। अब श्री रामजी लाल सुमन बोलेंगे।

श्री रामजीलाल सुमन (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली बार एसोसिएशन के अधिवक्ता दो महीने से हड़ताल पर हैं। आज दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव आमरण अनशन पर चले गए हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तीस हजारी कोर्ट से कुछ कोर्ट्स रोहिणी स्थानांतरित की गईं। न्याय व्यवस्था कैसी हो, इसके लिए दिल्ली बार एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय में सीडबल्यूपी 437 एक याचिका दायर की । उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश हुआ था। यह आदेश 18-08-2000 और 24-01-2001 को दिल्ली बार एसोसिएशन के पक्ष में हुआ था। उच्चतम न्यायलय का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी दिल्ली उच्च न्यायलय ने एक प्रशासनिक आदेश कर जारी दिया जिसके कारण तीसहजारी जिला न्यायालय से 29 कोर्टस को रोहिणी की नवनिर्मित बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया गया। असली सवाल यह है कि रोहिणी में वकीलों के लिए कोई सुविधा नहीं है, वहां न तो कार पार्किंग के लिए कोई सुविधा है और न ही वकीलों के बैठने के लिए कोई जगह है। इन अधिवक्ताओं ने इसी विरोध के कारण हड़ताल की। भारतीय संविधान की धारा 239AA के बाद अदालतों का निर्माण और उनकी जगह सुनिश्चित करना सरकार का काम है, यह न्यायपालिका का काम नहीं है। दो महीने से बराबर हड़ताल हो रही है और हड़ताल होने के बावजूद भी आज तक अधिवक्ताओं से कोई संवाद किया गया है। मेरा अपना मानना है कि दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल न हो सके। लाखों लोग इतनी लंबी हड़ताल से प्रभावित हैं।

17 फरवरी को न सिर्फ दिल्ली के बल्कि दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा राज्य के हजारों अधिवक्ताओं दिल्ली बार एसोसिएशन के हक में प्रदर्शन किया तथा लोकसभा अध्यक्ष और सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया। मेरा आपके मार्फत आग्रह है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और अधिवक्ताओं से बात करनी चाहिए। इस कारण तनाव पैदा हो रहा है जिससे कोई अप्रिय घटना भी हो

सकती है। दो महीने से बराबर बात नहीं की गई है और लाखों लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार इस मामले में आश्वस्त करे और बातचीत करके इसका हल निकाले। ...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thank you. Your point has come on the record. Please take your seat now.

श्री रामजीलाल सुमन : यह अजीब मामला है कि कोई घटना हो जाए या कोई समस्या पैदा हो जाए और सरकार अपने कर्तव्य का निर्वाह ही न करे, कोई बात न करे और समस्या का हल निकालने की दिशा में सार्थक प्रयास न करे, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुखद बात कोई और नहीं हो सकती है। हम यह जरूर चाहेंगे कि सरकार इस मामले पर अपना वक्तव्य दे।...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : वकीलों से बातचीत करके हड़ताल तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनसे बातचीत कररके कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। दो महीने से हड़ताल...(व्यवधान) यह मुनासिब नहीं है।...(व्यवधान) The Government should look into the matter seriously and try to resolve the matter as early as possible... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, आप एसोसिएट कर दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा 2 जनवरी, 2006 से लगातार चलाई गई हड़ताल और 17 फरवरी 2002 को प्रदर्शन के फलस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न हो रही है। जनता की परेशानी को देखते हुए भी जो न्यायिक प्रक्रिया में जो रुकावट है उसके लिए रोहिणी में अदालत उपयुक्त है या नहीं, इसके लिए एक समिति सरकार गठित करे। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि आज इसमें 6000 अधिवक्ता डायरेक्ट रूप से संलग्न हैं। सारे देश में, हर राज्य में अधिवक्ताओं के लिए चिंता का विाय है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन हो।...(व्यवधान)

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): Sir, I would also like to associate with them... (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : आदरणीय रामजी लाल सुमन जी, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी द्वारा वकीलों को महत्ता देकर दिल्ली की हड़ताल के सिलसिले में ...(व्यवधान) आपके नेता का नाम भी आदरपूर्वक लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके नेताजी का नाम पहले ही रिकॉर्ड में दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जो मामला यहां प्रस्तुत किया गया है, इसके संबंध में मैं आश्वस्त करता हूं कि यू.पी.ए. सरकार बातचीत में विश्वास करती है, संघर्ा में नहीं। इस मामले में डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत करनी चाहिए। आपने सम्पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में जो सुझाव रखा है, उसे मैं आज ही कानून मंत्री जी के सामने पेश करूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन : कानून मंत्री निश्चित रूप से इसका हल निकालें।...(व्यवधान)